OBSERVATIONS BY THE CHAIR — *Contd.*

MR. CHAIRMAN: One minute. …*(Interruptions)*… Please. …*(Interruptions)*… Hon. Members, a very valid issue has come to the attention of the Council of States. Dr. Radha Mohan Das Agrawal has rightly pointed out that the act of omission or commission either on our iPads or in any book, without carrying the 22 miniatures of that Constitution of which the architect is Dr. B.R. Ambedkar and signed by our founding fathers,-- the only variation, I reiterate, please note my words--the only change that can take place in the Indian Constitution can emanate only from the Indian Parliament. And any change emanating from the Indian Parliament duly signed by the hon. President under Article 111 must invariably find mention in the Indian Constitution irrespective of any intervention from Judiciary or otherwise. Therefore, it is not optional for the Government or anyone else to adhere to it. This is the only way and everyone in the country is required to have Indian Constitution which is duly sanctified. Shri Derek O'Brien has a point. Before him, it is not there. We must regret it. We must make amends and make it as quick as possible by everyone concerned, including the Government. If there is any publication from your side, strict steps should be taken and, I am sure, in the shortest possible time, the Government will make it convenient that people come to know only the authentic version of the Indian Constitution as it holds the field today. …*(Interruptions)*…

MATTERS RAISED WITH PERMISSION — *Contd.*

Demand for Inclusion of 22 Illustrations from First Illustrated Manuscript of India's Constitution in Re-printed Constitution — *Contd.*

MR. CHAIRMAN: Shri Ramji Lal Suman. …*(Interruptions)*… He has said so. …*(Interruptions)*… Nothing is going on record. …*(Interruptions)*… …*(Interruptions)*… Nothing is going on record. …*(Interruptions)*… Shri Ramji Lal Suman; Concern over not conferring Bharat Ratna to Raja Mahendra Pratap. …*(Interruptions)*… Raja Mahendra Pratap was the first person …*(Interruptions)*… Enough, that is over. …*(Interruptions)*… Sorry! It is over. …*(Interruptions)*… We cannot have it open-ended. …(*Interruptions*)… I have noticed your intervention. …(*Interruptions*)…

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): सर, …(**व्यवधान**)… राज्य सभा, लोक सभा के सदस्यों को आप भी प्रिंट करके देते हैं। …(**व्यवधान**)…

MR. CHAIRMAN: We will make amends. ...(*Interruptions*)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: क्या उसमें है? ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: We will make amends. ...(*Interruptions*)... Anyone who has done this omission is responsible. ...(*Interruptions*)... No one is accepted to it. I am not accepted to it. ...(*Interruptions*)... The nation will have only the Constitution given by Dr. Ambedkar and Founding Fathers, with the changes effected by the Parliament. ...(*Interruptions*)... Nothing is going on record. ...(*Interruptions*)... Now, Shri Ramji Lal Suman. ...(*Interruptions*)... Rhetoric! You are saying nothing but politics, not appreciating the point. The point is very categorical. Dr. Radha Mohan Das Agrawal needs to be appreciated, accoladed and applauded. ...(*Interruptions*)...

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

सभा के नेता (श्री जगत प्रकाश नड्डा): सभापति जी, मैं बार-बार यह प्रश्न कर रहा हूँ कि राधा मोहन जी ने जो प्रश्न उठाया, जिस पर आपने अपनी रूलिंग भी दी और आपने कहा कि गलती किसी से भी हुई हो, इसको rectify करना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसमें विपक्ष को तकलीफ क्या हुई है? ...(**व्यवधान**)... विपक्ष को यह कहना चाहिए था कि very good, Radha Mohan*ji*, you have raised a very valid point and it should be taken care of. And, who is the custodian? The Government should rectify it. I said that we will rectify it. इनको तकलीफ क्या होती है? ...(**व्यवधान**)... इनको तकलीफ इसलिए होती है ...(**व्यवधान**)... सभापति जी, इनको तकलीफ इसलिए होती है, क्योंकि संविधान में वे जो कृतियाँ हैं, वे इनको कहीं न कहीं तकलीफ देती हैं। ...(**व्यवधान**)... भारत की संस्कृति को याद करना और हमारी आने वाली generations उसको याद रखे, उनको उससे वंचित रखने में इनका कोई एजेंडा है। ...(**व्यवधान**)... इनका एजेंडा है कि भारत की जो पुरातन संस्कृति है, जो गौरवमयी संस्कृति है, जिस पर हम गौरव करते हैं, जिस पर हम गर्व करते हैं, वह संस्कृति आने वाली generations न जान सकें, इसलिए there is a hidden agenda और इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। ...(**व्यवधान**)... जो विषय राष्ट्रवादी विचार से ओतप्रोत होकर हमारे भाई राधा मोहन जी ने उठाया है, उसने इनको गुस्सा दिला दिया, क्यों? क्योंकि राष्ट्रवाद के बारे में इनकी जो definitions हैं, उन definitions में गौरवमयी इतिहास को भूलना लिखा है और हमने कहा है कि हम अपने गौरवमयी इतिहास का ध्यान रखेंगे और उसको गौरवान्वित तरीके से बढ़ाएँगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्यगण, मैं इस अत्यन्त गम्भीर विषय पर आपके समक्ष यह कहना चाहूँगा कि हमारी जो 5,000 साल की संस्कृति है, विरासत है, उसका दर्पण और दर्शन 22 चित्रणों में है। मौलिक अधिकारों वाले चैप्टर को देखेंगे, जो भाग-3 है, उस पर राम, लक्ष्मण और सीता

अयोध्या आ रहे हैं। Part III में Fundamental Rights हैं। अगर Directive Principles की बात करें, तो कुरुक्षेत्र की भूमि में कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। शुरुआत में देखेंगे, तो गुरुकुल पद्धति दिखाई गई है। इसमें शिवाजी का वर्णन है, इसमें अकबर का भी वर्णन है, इसमें नेताजी सुभाष का भी वर्णन है और कोई ऐसी वजह नहीं है कि जिस मूल प्रति पर संविधान निर्माताओं ने, डा. भीमराव अम्बेडकर ने दस्तखत किये हैं, वही असली संविधान है, उसी का संज्ञान जनता को कराना चाहिए और इसमें एक भी अगर कोई भटकाव है, किसी भी क्षेत्र से, तो हमें अविलम्ब सुधार करना चाहिए। मैं फिर पुरजोर तरीके से कहता हूँ कि संसद की स्वायत्तता तभी कायम रहेगी, जब भारत के संविधान के मूल प्रति में वही बदलाव अंकित हों, जो सदन ने स्वीकार किये हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी ने दस्तखत किये हैं। उसमें अगर किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य संस्था ने कोई बदलाव किया है, तो वह संविधान का अंग नहीं हो सकता। मैं सदन के नेता से आग्रह करूँगा कि डा. राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने जो मौलिक मुद्दा उठाया है, उसके सकारात्मक नतीजे दूरगामी हैं। सभी को बोध होगा, जो भी भारतीय संविधान का अध्ययन करेगा या उसको काम में लाएगा, कि मेरे संविधान में, हमारे संविधान में इसकी आत्मा कहाँ से आई है। इसलिए मैं आग्रह करूँगा कि इसमें अविलंब कदम उठाये जायें, I And, I am a little puzzled and surprised that the Leader of the Opposition has walked out. I do not find any rational ground for that. It is, according to me, a direct insult to Dr. B.R. Ambedkar. How can anyone contemplate coming in the way of disseminating that Constitution, of which Dr. B.R. Ambedkar was the architect; that Constitution which was signed by our founding fathers? I am sure the sentiments of the House have been taken note of.

Concern over not conferring Bharat Ratna to Raja Mahendra Pratap

श्री रामजी लाल सुमन (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति महोदय जी, राजा महेन्द्र प्रताप पत्रकार, लेखक, दानवीर और देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक थे। पूरे देश में उनका नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए*)

भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उनका विशेष योगदान था और यह देश उनकी सेवाओं के लिए सदैव ऋणी रहेगा। उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी सहित तमाम संस्थाओं को दान दिया। यह अलग बात है कि किसी में कोई शिलालेख नहीं है, पट्टिका नहीं है, लेकिन वे महान दानवीर थे।

उपसभापति महोदय, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुरसान रियासत के घनश्याम सिंह के यहाँ हुआ था और 3 वर्ष की उम्र में ही हाथरस के राजा हृदय नारायण सिंह ने उन्हें गोद ले लिया और वे दत्तक पुत्र के रूप में बने। 1906 में जब कोलकाता में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, तो उन्होंने वहां स्वदेशी और स्वावलंबन की वकालत की, स्वदेशी पहनने का संकल्प लिया और विदेशी कपड़ों की होलियां जलवाईं। वे अपनी पत्नी को छोड़ कर चले गए और जब उनकी पत्नी ने पूछा